ALPS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: B-2 , Loni Road Industrial Area,
(Opp. Mohan Nagar) Ghaziabad-201007
CIN: L51109UP1972PLC003544
Website: www.alpsindustries.com
E Mail ID: ajaygupta@alpsindustries.com
Corporate Office &Share Deptt: 57/2,
Site-IV Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010.
Phone: 0120-4161700, 4161716, Fax:0120-2895299

NOTICE

Notice is hereby given that the Forty Third Annual General Meeting (AGM) of the Members of Alps Industries Limited (CIN NO. L51109UP1972PLC003544) will be held on Wednesday, 30th September, 2015 at 10:00 A.M. at the Corporate Office of the company situated at 57/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad-201010 (U.P.) to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the said meeting.

The Notice together with Annual Report for the FY 2014-15 has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice together with the Annual Report for FY 2014-15 has been sent to all other Members at their registered address through the permitted mode. The electronic transmission/physical dispatch of Notice together with the Annual Report have been completed on 29.08.2015.The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available on the Company's website. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download the same from the website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary/Compliance officer, Alps Industries Limited , 57/2, Site-IV Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010, or e-mail at ajaygupta@alpsindustries.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Wednesday the 9th September 2015 to Thursday the 10th September 2015 (both days inclusive).

Pursuant to Clause 35B of the Listing Agreement, and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has to provide e-voting facility to members to cast their votes on the resolutions set in the Notice of convening 43rd AGM. The Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Ltd. to facilitate the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The detailed process for participating in the e-voting is available in the Notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on Thursday the September 24, 2015 being the cut – off date, may cast their vote electronically. As required under clause 4 (v) Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the required information are as under:

S. No.	Particulars	Comments
1.	Statement that the business may be transacted through voting by electronic means.	The Ordinary and Special business as stated in Notice of 43rd AGM for Resolutions No. 1 to 12 may be transacted through voting by electronic means as per the instruction provided in the Notice.
2.	The date and time of commencement of remote e-voting.	The remote e-voting shall commence on Sunday, September 27, 2015 at 10:00 A.M.
3.	The date and time of end of remote e-voting.	The remote e-voting shall end on Tuesday, September 29, 2015 at 5:00 P.M.
4.	Cut-off date.	The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or in person at the AGM is Thursday September 24, 2015.
5.	The manner in which persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice may obtain the login ID and Password.	The persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice and holding the shares as of the cut-off date i.e. September 24, 2015 may follow the instruction mentioned in the Notice available on the website, who are holding the PAN nos. and in other cases they may obtain the login Password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or ajaygupta@alpsindustries.com or alankit@alankit.com . However, if a person already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.
6.	The statemant that remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;	The remote e-voting module shall be disabled by CSDL after the September 29, 2015 at 5:00 P.M. and the remote e-voting shall not be allowed beyond the period.
7.	The Statemant that the manner in which the company shall provide for voting by members present at the meeting.	The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who wish to cast their vote in person.
8.	The Statemant that a member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.	The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but not entitled to cast their vote again.
9.	A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.	A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 24 2015, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.
10.	Website address of the company, if any, and of the agency where notice of the meeting is displayed.	www.alpsindustries.com, www.cdslindia.com
11.	Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means.	Mr. Ajay Gupta, Compliance Officer & Company Secretary Add: Corp. Off.- 57/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad , U.P. – 201010 Email ID: ajaygupta@alpsindustries.com Ph: 0120-4161716 (Direct)

A member entitled to attend the AGM and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself, and such proxy need not be a member of the Company. The proxies, in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Clause 35B of the Listing Agreement with stock exchanges, for the statements to be as under :

S. No.	Particulars	Comments
1.	A statement to the effect that the business is to be transacted by postal ballot which includes voting by electronic means.	The Resolution No. 12 under Special Business is to be transacted by postal ballot which includes voting by electronic means as per the instruction in the Notice.
2.	The date of completion of dispatch of Notice.	August 29, 2015.
3.	The date of commencement of voting.	The voting by postal ballot forms shall commence from August 29, 2015.
4.	The date of end of voting.	The voting by postal ballot forms shall end on the completion of 30 days from the completion of dispatch of Notices i.e. September 28, 2015.
5.	The statement that any postal ballot received from the member beyond the said date will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date.	Any postal ballot received from the member beyond September 28 2015, will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the aforesaid date.
6.	A statement to the effect that members, who have not received postal ballot forms may apply to the company and obtain a duplicate thereof.	The members, who have not received postal ballot forms may apply to the company and obtain a duplicate thereof which is also available on the website of the Company.
7.	Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means.	Mr. Ajay Gupta, Compliance Officer & Company Secretary Add: Corp. Off.- 57/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad , U.P. – 201010 Email ID: ajaygupta@alpsindustries.com Ph: 0120-4161716 (Direct)

The Board of Directors of the Company has appointed CS Rajiv Khosla, a Practicing Company Secretary (PCS No. 3927), as scrutinizer for conducting Postal Ballot and E-voting process in a fair and transparent manner. The members of the company note that physical Postal Ballot Form duly completed and signed should reach the scrutinizer on or before Monday, September 28, 2015, who is available at corporate office of the company till the process completed.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of difficulties Members may also contact the undersigned or the Alankit Assignments Ltd. being the RTA situated at 205-208, Ankarkali Complex, Jhandewalan Ext. New Delhi - 110055 or at the email id jksingla@alankit.com by e-mail/post.

By order of the Board
for Alps Industries Ltd.

Sd/-
(Ajay Gupta)
Company Secretary & General Manager- Legal

Place : Ghaziabad
Date : August 31, 2015

SIZE : 12x40CM

एल्पस इण्डस्ट्रीज लि.

पंजीकृत कार्यालय : बी-2, लोनी रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, (मोहन नगर के सामने)
गाजियाबाद - 201007 CIN NO. L51109UP1972PLC00354
वेबसाइटः www.alpsindustries.com ईमेल आईडीः ajaygupta@alpsindustries.com
कारपोरेट आफिस एंड शेयर विभाग : 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद,
गाजियाबाद-201010 फोनः 0120-4161700, 4161716, फैक्सः 0120-2895299

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटिड (**CIN NO. L51109UP1972PLC00354**) के सदस्यों की 43वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 सितम्बर 2015, प्रातः 10.00 बजे कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 (यू.पी.) में होगी, जिसमें उक्त बैठक की सूचना में दिये गये साधारण एवं विशेष व्यापार सम्पादित किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिये वार्षिक रिपोर्ट, सूचना के साथ इलैक्ट्रानिक मोड में सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के पास पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की फिजीकल प्रति सभी सदस्यों के उनके पंजीकृत पतों पर अनुमति मोड से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और सूचना का इलैक्ट्रानिक / फिजीकल डिस्पैच 29.08.2015 तक पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सदस्य, जिन्हें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या कम्पनी सचिव / अनुपालन अधिकारी, एल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटिड, 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 को लिखकर या ईमेल **ajaygupta@alpsindustries.com** पर उसकी एक कॉपी का निवेदन कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुपालन में कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर स्थानांतरण बुक्स बुधवार 9 सितम्बर 2015 से गुरुवार 10 सितंबर 2015 (दोनें दिन शामिल करके) बंद रहेंगी।

लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 35बी, और कम्पनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के नियम 20 के साथ पठित, 43वीं एजीएम की सूचना में दिये गये प्रस्तावों के सेट पर वोट डालने के लिये सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा कंपनी को उपलब्ध करानी है। सदस्यों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से एजीएम में वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ एक समझौता किया है। ई-वोटिंग में भाग लेने के लिये विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में उपलब्ध है। कंपनी के सदस्य, जिनेक पास गुरुवार 24 सितम्बर 2015 कट-ऑफ तिथि एक फिजीकल या डिमैट रूप में शेयर धारक हैं, तो वे इलैक्ट्रानिक वोट डाल सकते हैं। खंड 4 (V) क्लॉज कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के तहत आवश्यक, जरूरी जानकारी निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणियां
1.	कथन कि व्यापार इलैक्ट्रानिक माध्यम से सम्पादित किया जा सकता है।	43वीं एजीएम की सूचना में उद्दृत आम तथा विशेष व्यापार के लिये प्रस्ताव सं.1 से 12 पर ट्रांजेक्शन इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से सूचना में दिये गये निर्देशों से सम्पादित किया जा सकता है।
2.	दूर-दराज के ई-वोटिंग के प्रारंभ की तिथि एवं समय	दूर-दराज की ई-वोटिंग रविवार, 27 सितंबर 2015 को प्रातः 10.00 बजे शुरू होगी।
3.	दूर-दराज की ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय	दूर-दराज ई-वोटिंग मंगलवार, 29 सितम्बर 2015 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।
4.	कट-ऑफ तिथि	इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से वोट डालने की पात्रता का निर्धारण करने के लिये या एजीएम में व्यक्तिगत के लिये कट-ऑफ तिथि गुरुवार 24 सितम्बर 2015 है।
5.	सूचना के प्रेषण के बाद जिस तरीके से व्यक्तियों ने शेयरों का अधिग्रहण किया है और कंपनी के सदस्य बने हैं, वे लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।	सूचना के प्रेषण के बाद जिन व्यक्तियों ने शेयर अधिग्रहण किये हैं और कंपनी के सदस्य बने हैं और 24 सितम्बर 2015 कट-ऑफ तिथि पर शेयरधारक हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना में उल्लेखित निर्देशों का अनुसरण करें, जो पेन नं. धारक हैं तथा अन्य शेयरधारक **helpdesk.evoting@cdslindia.com** या **ajaygupta@alpsindustries.com** या **alankit@alankit.com** पर निवेदन कर लॉग इन पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल से पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं।
6.	दूर-दराज से ई-वोटिंग कथित दिन और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।	दूर-दराज का ई-वोटिंग मोड्यूल सीएसडीएल द्वारा 29 सितंबर 2015 सायं 5.00 बजे के पश्चात् निष्क्रिय कर दिया जाएगा और दूर-दराज से वोटिंग अवधि के बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा वोटिंग उपलब्ध कराने के लिये कंपनी द्वारा उपलब्ध तरीका।	जो सदस्य अपना वोट व्यक्तिगत रूप से डालना चाहते हैं, उन्हें एजीएम में पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
8.	सदस्य दूर-दराज ईवोटिंग से वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करके भी साधारण सभा में भाग ले सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा वोट नहीं डालने दिया जाएगा।	एजीएम से पूर्व जिन सदस्यों ने अपने वोट दूर-दराज ई-वोटिंग से डाल दिये हैं, एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट देने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
9.	जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रिजस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा, वह ही केवल दूर-दराज ईवोटिंग सुविधा को इस्तेमाल करने के लिये और साधारण बैठक में वोट डालने के लिये अधिकृत होगा।	जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ तिथि जो 24 सितंबर 2015 है, पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही केवल दूर-दराज ई-वोटिंग, सुविधा को इस्तेमाल करने के लिये और साधारण बैठक में वोट डालने के लिये अधिकृत होंगे।
10	कम्पनी का वेबसाइट पता, अगर कोई है, और उस एजेंसी का जहां बैठक की सूचना डिस्पले की गई है।	**www.alpsindustries.com,** **www.cdslindia.com**
11	नाम, पद, पता, ई-मेल आईडी और फोन नम्बर उस व्यक्ति का जो इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से वोट डालने की सुविधा से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिये जिम्मेदार होगा।	श्री अजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव पता : कारपोटरेट आफिसः 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. -201010 ईमेल- **ajaygupta@alpsindustries.com** फोनः 0120-4161716 (सीधा)

एजीएम में भाग लेने और वोट डालने के हकदार सदस्य को खुद/खुद के मतदान के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हक है, और ऐसी प्रॉक्सी जरूरी नहीं कंपनी का सदस्य हो। प्रॉक्सी प्रभावी होने के लिये, कम्पनी द्वारा बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले प्राप्त हो जानी चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22, और स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 35बी के साथ पठित, बयानों हेतु, निम्न रूप मेंः

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणियां
1.	इस आशय का एक बयान कि व्यवसाय पोस्टल बैलेट द्वारा सम्पादित किया जा रहा है, जिसमें इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से मतदान शामिल है।	प्रस्ताव सं.12 के अंतर्गत विशेष व्यापार पोस्टल बैलेट द्वारा सम्पादित होना है, जिसमें सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुरूप इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से मतदान शामिल है।
2.	सूचना के प्रेषण के पूरा होने की तिथि	29 अगस्त 2015
3.	मतदान शुरू होने की तिथि	पोस्टल बैलेट फार्म से मतदान 29 अगस्त 2015 को शुरू होगा।
4.	मतदान समाप्त होने की तिथि	पोस्टल बैलेट फार्म से मतदान सूचना के प्रेषण पूर्ण होने के 30 दिन पूरे होने तक समाप्त होगी, यानी 28 सितम्बर 2015
5.	बयान कि सदस्य से उक्त तिथि के बाद प्राप्त कोई भी पोस्टल बैलेट वैध नहीं होगा और उक्त तिथि के पश्चात पोस्ट द्वारा या इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	28 सितम्बर 2015 के पश्चात प्राप्त कोई भी पोस्टल बैलेट वैध नहीं होगा और पूर्वोक्त तिथि के पश्चात् मतदान पोस्ट द्वारा या इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6.	एक बायन इस आशय को, कि सदस्य जिन्हें पोस्टल बैलेट फार्म प्राप्त नहीं हुआ है, वे कम्पनी को आवेदन करे और उसे डुप्लीकेट प्राप्त करें।	सदस्य, जिन्हें पोस्टल बैलेट फार्म प्राप्त नहीं हुए हैं, वे कम्पनी को आवेदन कर सकते हैं और उसे डुपलीकेट प्राप्त कर सकते हैं, जो कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
7.	व्यक्ति का विवरण जो पोस्टल बैलेट और इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से मतदान समेत, संबंधी शिकायतों का निपटान कर सके।	श्री अजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव पता : कारपोटरेट आफिसः 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. -201010 ईमेल- **ajaygupta@alpsindustries.com** फोनः 0120-4161716 (सीधा)

कम्पनी के निदेशक मंडल ने सीएस राजीव खोसला एक अभ्यासी कंपनी सचिव (पीसीएस सं. 3927) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिये स्क्रूटनाइजर नियुक्त किया है। कंपनी के सदस्य ध्यान दें कि विधिवत रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेट फिजीकल रूप में स्क्रूटनाइजर के पास सोमवार, 28 सितंबर 2015 को या पहले पहुंच जाने चाहिए, जो कि कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रक्रिया समाप्ति तक उपलब्ध रहेंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित मामलों और पूछताछ के लिये, कृपया **www.evotingindia.co.in** में उपलब्ध फ्रिक्यूंटली ऑस्क्ड क्योश्चंस (''एफएक्यो'') और ई-वोटिंग मैन्यूल को देखें या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को लिखें। कठिनाई होने के मामले में सदस्य अधोहस्ताक्षरी को संपर्क कर सकता है या अलंकित एसाइनमेंट्स लि., पता 205-208, अनारकली काम्पलेक्स, झंडेवालन एक्स. नई दिल्ली-110055 या ई-मेल आईडी **jksingla@alankit.com** पर ईमेल/पोस्ट द्वारा संपर्क कर सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **एल्प्स इंडस्ट्रीज लि.**
हस्ता./- **(अजय गुप्ता)**
कंपनी एवं जनरल मैनेजर (लीगल)

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 31 अगस्त 2015

Hindi Size 50cm x 3 col.